रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2129] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 1, 2015/आश्विन 9, 1937
No. 2129] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 1, 2015/ASVINA 9, 1937

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2015

का. आ. 2688(अ).—केन्द्रीय सरकार, चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 30 की उप-धारा (3) और उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम चाय (विपणन) नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) आदेश, 2015 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) में पैरा 2 में, खण्ड (थ) के लिए निम्नलिखित खंड को रखा जाएगा, अर्थात् :-

'(थ) "क्रीत पत्ती चाय कारखाना" से ऐसा चाय कारखाना अभिप्रेत है जो चाय के विनिर्माण के प्रयोजन के लिए किसी कैलेंडर वर्ष के दौरान अन्य चाय उपजकर्ताओं से अपनी चाय पत्ती की अपेक्षा का कम से कम इक्यावन प्रतिशत स्रोत करता है;'।

3. उक्त आदेश के पैरा 17 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

"17. फीस - अनुज्ञप्ति जारी करने अथवा उसके रजिस्ट्रीकरण अथवा नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ उस फीस को संलग्न किया जाएगा जोकि केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन के साथ अनुज्ञापन प्राधिकारी अथवा रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विहित किया जा सकेगा।"।

4. उक्त आदेश के पैरा 21 में, उप- पैरा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत चाय विनिर्माता इस अधिसूचना के लागू होने की तारीख से ही किसी कैलेंडर वर्ष में विनिर्मित कुल चाय के कम से कम पचास प्रतिशत का विक्रय सार्वजनिक नीलामियों के माध्यम से करेगा जिनका आयोजन इस आदेश के उपबंधों के अधीन ऐसा करना नीलामी हेतु अनुज्ञप्त प्राप्त चाय नीलामी आयोजकों के नियंत्रण अथवा तत्वावधान में किया जाता है :

परंतु रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से ऐसी प्रतिशतता को समय-समय पर पुनरीक्षित कर सकता है।"।

[फा.सं.टी-12014/1/2013-बागान(क)]

रजनी रंजन रश्मि, अपर सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण में का.आ. संख्या 1 (अ), तारीख 01.01.2003 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचनाओं के तहत संशोधित किया गया:

(i) का.आ. 247 (अ), तारीख 28 फरवरी, 2003;

(ii) का. आ. 430 (अ), तारीख 10 अप्रैल, 2003;

(iii) का.आ. 270 (अ), तारीख 27 फरवरी, 2004;

(iv) का.आ. 1170 (अ), तारीख 20 अक्तूबर, 2004;

(v) का.आ. 1017 (अ), तारीख 15 जुलाई, 2005; और

(vi) का.आ. 1012 (अ), तारीख 15 अप्रैल, 2015.

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

Notification

New Delhi, the 1st October, 2015

S.O. 2688(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (5) of section 30 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), the Central Government hereby makes the following amendments further to amend the Tea (Marketing) Control Order, 2003, namely:-

1. (*1*) This order may be called the Tea (Marketing) Control (Second Amendment) Order, 2015.

(*2*) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Tea (Marketing) Control Order, 2003 (hereinafter referred to as the said order), in paragraph 2, for clause (q), the following clause shall be substituted, namely:–

'(q) "Bought leaf tea factory" means a tea factory which sources not less than fifty-one per cent. of its tea leaf requirement from other tea growers during any calendar year for the purpose of manufacture of tea;'.

3. For paragraph 17 of the said order, the following paragraph shall be substituted, namely:-—

"17. Fees – Every application for the issue of a licence or registration or renewal thereof shall be accompanied by such fees as may be prescribed from time to time by the Licensing Authority or the Registering Authority with the prior approval of the Central Government.".

4. In paragraph 21 of the said order, for sub-paragraph (1), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

"(1) Every registered tea manufacturer shall, on and from the date of commencement of this notification, sell not less than fifty per cent. of the total tea manufactured in a calendar year through public tea auctions in India, held under the control or auspices of organisers of tea auction licensed to do so under the provisions of this order:

Provided that the Registering Authority may, from time to time, revise such percentage with the prior approval of the Central Government.".

[F.No.T-12014/1/2013-Plant (A)]

RAJANI RANJAN RASHMI, Additional Secretary

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 1(E), dated the 1st January, 2003 and subsequently amended vide the following notifications,-

(i) S.O. 247(E), dated the 28th February, 2003;

(ii) S.O. 430(E), dated the 10th April, 2003;

(iii) S.O. 270(E), dated the 27th February, 2004;

(iv) S.O. 1170(E), dated the 20th October, 2004;

(v) S.O. 1017(E), dated the 15th July, 2005; and

(vi) S.O. 1012(E) dated the 15th April, 2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.